



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-02122024-259090
CG-DL-E-02122024-259090

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4795]

नई दिल्ली, सोमवार, दिसम्बर 2, 2024/अग्रहायण 11, 1946

No. 4795]

NEW DELHI, MONDAY, DECEMBER 2, 2024/AGRAHAYANA 11, 1946

वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)
(केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)
अधिसूचना

नई दिल्ली, 2 दिसम्बर, 2024

का.आ. 5187(अ).—आयकर नियमावली, 1962 के नियम 5ग और 5ड के साथ पठित आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 35 की उप-धारा (1) के खंड (ii) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार अंतर्राष्ट्रीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, हैदराबाद (पैन: AAAAI6797B) को आयकर नियमावली, 1962 के नियम 5ग और 5ड के साथ पठित आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 35 की उप-धारा (1) के खंड (ii) के प्रयोजनार्थ 'विश्वविद्यालय, महाविद्यालय या अन्य संस्था' की श्रेणी के अंतर्गत 'वैज्ञानिक अनुसंधान' हेतु अनुमोदित करती है।

2. यह अधिसूचना सरकारी राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख (अर्थात् पूर्व वर्ष 2024-25) से लागू होगी तथा तदनुसार निर्धारण वर्षों 2025-26 से 2029-30 के लिए लागू होगी।

[अधिसूचना सं. 125/2024/फा. सं. 203/07/2024/ITA-II]

कास्त्रो जयप्रकाश टी., अवर सचिव

स्पष्टीकरण ज्ञापन: यह प्रमाणित किया जाता है कि इस अधिसूचना को भूतलक्षी प्रभाव देने से किसी भी व्यक्ति पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ रहा है।